

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा
270/16

रजू दिनांक
07.11.2016

पर्चा डिक्री दिनांक
20.07.2018

अनुवान

1. खुशीराम पुत्र हरिसिंह
2. जितेन्द्र पुत्र भीमसिंह
3. ब्रह्मा देवी पत्नी भीमसिंह
4. राजेश कुमार पुत्र हरिसिंह
5. निर्मला पत्नी अर्जुन जातियान अहीर निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर अलवर।

:-वादीगण


बनाम

1. मुस्ताक खॉ उर्फ मुस्तर खॉ पुत्र नामालूम जाति मेव निवासी नामालूम तहसील व जिला नामालूम
2. राजस्थान सरकार जयें भूमिधारी तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर

:-प्रतिवादीगण

3. भूपेन्द्र
4. उपेन्द्र पुत्रान अर्जुनसिंह
5. पिकी पुत्री अर्जुनसिंह
6. भूपसिंह
7. अभयसिंह
8. सुरेश पुत्रान प्रहलाद
9. रजत पुत्र रामसिंह
10. राज बेवा रामसिंह
11. रितेश पुत्र रोहिताश
12. मीतू पुत्री रोहिताश
13. तरू पुत्री रोहिताश
14. राज पत्नी रोहिताश जातियान अहीर निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर, अलवर।
15. शीतल पुत्री रामसिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर।

:-तरतीबी प्रतिवादीगण


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

दावा-इशतकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा-88, 89
राज0 काश्त0 अधि0 1955

-:पर्चा डिक्री:-

दिनांक:- 20.07.2018

वकील वादीगण श्री अशोक चौधरी प्रथम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.06.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

आराजी ख0नम्बरान 617/0.23, 618/0.23 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में प्रतिवादी सं0 01 के नाम हो रहे अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण व तरप्रति0 को उपरोक्त विवादित आराजीयात के बाबत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि उक्त विवादित आराजी पूर्व से कस्टोडियन की भूमि रही है ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार कस्टोडियन शुल्क की गणना की जाकर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा जरिय चालान सं0 121 एवं 122 दिनांक 19.07.2018 द्वारा कुल राशि 1,44,040/- (अक्षरेन् एक लाख चौवालिस हजार चालिस रूपये) जमा राजकोष कराये जाने की सूचना जस्ठिये पत्रांक : 2179 दिनांक 20.07.2018 द्वारा प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। ऐसी स्थिति में कस्टोडियन राशि जमा राजकोष कराई जा चुकी है। अतः उपरोक्तानुसार वादीगण एवं तरप्रति0 के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को वास्ते पालना अहकाम जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

20.07.18
(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)